

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

पत्रांक- 1915 /33-1, दिनांक, गोण्डा, दिसम्बर 27 /2023  
सेवा में,

वन संरक्षक,  
देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।  
विषय:- जनपद गोण्डा में अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) 4/6 लेन के निर्माण में गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों की पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।  
संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक 8वीं/यू०पी०/०६/३०३/२०२२/एफ०सी०/३४० दिनांक ०८.०९.२०२३ एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक १४२७/११सी० दिनांक ०८.१२.२०२३

महोदय,

विषयांकित प्रकरण के क्रम में इस वन प्रभाग के अन्तर्गत ०.३८१ हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक ५१ वृक्षों से सम्बन्धित है। जिससे सम्बन्धित अभिलेख संलग्न कर आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है, उत्तरालेख निम्नानुसार है।

क्र० सं०	आपत्तिया	उत्तरालेख
1	भारत सरकार की आपत्ति सं०-३ के निराकरण के क्रम में संशोधित सी०ए० स्थल की के०एम०एल० फाइल ऑनलाइन अपलोड नहीं है। अतः संशोधित सी०ए० स्थल की के०एम०एल० फाइल एवं सी०ए० चेकलिस्ट ऑनलाइन अपलोड करें।	संशोधित सी०ए० स्थल की के०एम०एल० फाइल एवं चेकलिस्ट ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
2	भारत सरकार की आपत्ति सं०-५ के निराकरण के क्रम में गोण्डा वन प्रभाग में रोड साइड वृक्षारोपण स्कीम ऑनलाइन पार्ट-२ के Additonal information detail में अपलोड नहीं की गयी है।	रोड साइड वृक्षारोपण स्कीम ऑनलाइन पार्ट-२ के Additonal information detail में अपलोड कर दिया गया है।

अतः आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी  
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

संख्या 1915 अ/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी सा०वानिकी वन प्रभाग, अयोध्या को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी  
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

014

**क्षतिपूरक वृक्षारोपण (CA) हेतु चयनित स्थल की चेकलिस्ट**

क्रम सं०	बिन्दु	टिक बाक्स
1	चयनित स्थल केवल वन ब्लॉक में हो।	✓
2	वनस्पतिक घनत्व 0.4 से कम हो।	✓
3	चयनित स्थल प्रबंधकीय दृष्टि कोण से भी पूर्णतया उपयुक्त हो	✓
4	किसी भी तरह का अतिक्रमण व अधिभार न हो।	✓
5	किसी भी तरह का कृषि कार्य न हो रहा हो।	✓
6	स्थल का मौके पर निरीक्षण कर/कराकर वृक्षारोपण हेतु स्थल पूर्णतः उपयुक्त है।	✓
7	चयनित स्थल का गूगल अर्थ पर प्राथमिक परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु मानको के अनुरूप है।	✓
8	पूर्व में किसी अन्य योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण न कराया गया हो।	✓
9	यदि चयनित स्थल पर किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व में वृक्षारोपण कराया गया हो तथा वृक्षारोपण असफल हो गया हो तो इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वांछित औपचारिकताएं, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, तथा इस क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा सकता है।	—
10	यदि चयनित स्थल पर पूर्व से ही लैण्डाना की झाड़ियाँ अथवा घास फूस विद्यमान हो तथा स्थल का घनत्व 0.4 से कम हो एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हो तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाये	संलग्न है

  
 प्रभागीय वनाधिकारी,  
 गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।